

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

रणवीरसिंह पुत्र भवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बरड़ादास, तहसील व
जिला चूरु (राज.)

-वादी-

बनाम

1. भवानीसिंह पुत्र हमीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बरड़ादास, तहसील व
जिला चूरु (राजस्थान)
2. दरयावकवर पत्नी भवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बरड़ादास, तहसील व
जिला चूरु (राजस्थान)
3. गजेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बरड़ादास, तहसील व
जिला चूरु (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु (राज.)

-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 479 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामकिशन शर्मा
एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब श्री रघुनन्दन सोनी एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब
मुदाएलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के
आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि
वादगत कृषि भूमि ख.नं. 537/52 तादादी 1.2268 हैक्टेयर, ख.नं. 541/436 तादादी
0.2278 हैक्टेयर, ख.नं. 543/244 तादादी 2.9973 हैक्टेयर, ख.नं. 85 तादादी 3.0351
हैक्टेयर, ख.नं. 91 तादादी 10.9897 हैक्टेयर, कुल किता 05 कुल तादादी 18.4767 हैक्टेयर
रोही ग्राम बरड़ादास में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का
खाता विभाजन किया जाकर निम्नानुसार अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश
दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	ख.नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1.	रणवीरसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी बरड़ादास खातेदार	85 मिन	1.5175	3.00
		91 मिन	4.5577	9.01
		किता-2	6.0752	12.01

उपखण्ड अधिकारी
चूरु

2	भवानीसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी बरड़ादास खातेदार	91 मिन	1.8744	3.71
		537 / 52	1.2268	2.43
		541 / 436	0.2278	0.45
		543 / 244	2.9973	5.93
		किता-4	6.3263	12.52
3	गजेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी बरड़ादास खातेदार	85 मिन	1.5175	3.00
		91 मिन	4.5577	9.01
		किता-2	6.0752	12.01



तहसीलदार, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26 माह मार्च सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कौचर)
उपसबड अधिकारी, चूरु
चूरु